आपातकाल उपबन्ध भारत में
(Emergency Provisions in India)

PAGE NO :
DATE : / /

(1) यदि देश में युद्ध का संकट हो, विद्रोहियों का विद्रोह हुआ जान हो, या देश में कोई महामारी या आपदा तो राष्ट्रपति जी द्वारा आपात काल घोषित किया जाता है।
(अनुच्छेद - 352 द्वारा)

(2) आपात के द्वारा संसद के दोनों सदनों की मंजूरी एक माह के भीतर होनी चाहिए तभी आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है।
(अनुच्छेद - 352)

(3) आपात काल की स्थिति में केन्द्र सरकार को अधिक अधिकार प्राप्त हो जाते है, तथा केन्द्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार की शक्तियों को छीन कर राज्य की भी सरकार चला सकती है।
(अनुच्छेद - 353)

(4) आपात काल के दौरान केन्द्र सरकार हर हाल में राज्य सरकारों की हर हाल में सुरक्षा करती है चाहे वह किसी भी प्रकार का आपातकाल देश में हो।
(अनुच्छेद - 355)

(5) यदि राज्य आपात काल के दौरान नही चल पा रहा हो तो संविधान के अनुसार राज्य के राज्यपाल देश के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सिलसिलेवार देते रहेंगे जिससे राज्य की स्थिति सही रहे।
(अनुच्छेद - 356)

(6) राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की स्थिति सही नही रहती तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति शासन लागु होगा, और भारत सरकार हाथ में लेगी उस राज्य का प्रशासन।
(अनुच्छेद - 356)

PAGE NO :
DATE : / /

(7) आपातकाल में उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन करना होगा और दोनों सदनों द्वारा (संसद) दो माह में पास करना होगा।
(अनुच्छेद – 356)

(8) देश में आपातकाल के दौरान सभी नागरिकों के मूल अधिकार छिन जाते हैं और केवल शारीरिक स्वतंत्रता व व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार मात्र बचते हैं।
(अनुच्छेद - 358 व 359)

(9) यदि देश में आर्थिक संकट पैदा हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है
(अनुच्छेद – 352)

(10) वित्तीय आपातकाल के दौरान देश में राज्यों के खर्चे कम कर दिये जाते हैं और देश के अधिकारी, कर्मचारी, माननीय और जजों का वेतन कम किया जा सकता है।
(अनुच्छेद – 360)

डा० हरेन्द्र कुमार
जे० एस० हिन्दू (पी०पी०)
कालेज, अमरोहा